रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/वैशाख 7, 1940
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2018/VAISAKHA 7, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 411(अ).—माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, ने 'न्यायालय स्व-प्रेरणा से' बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य नामक 2014 की सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 16 में अपने निर्णय, तारीख 15.03.2016 में यह संप्रेक्षण किया है कि ऑक्सीटोसीन ओषधि का बड़े पैमाने पर गोपनीय रूप से विनिर्माण और विक्रय होता है जिसके कारण उसका घोर दुरुपयोग होता है, जो पशुओं और मानवों के लिए हानिकारक है ;

और, माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ही ऑक्सीटोसीन के विनिर्माण को निर्बंधित करने की और ऐसी कंपनियों द्वारा, जिन्हें अनुज्ञप्तियां पहले ही अनुदत्त की गई हैं, ऑक्सीटोसीन के विनिर्माण को निर्बंधित करने और परिसीमित करने की भी साध्यता पर विचार किया जाना चाहिए ;

और, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 के अधीन गठित ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने 12 फरवरी, 2018 को हुई अपनी बैठक में उक्त मुद्दे पर विचार किया और यह सिफारिश की थी कि मानवीय उपयोग के लिए ऑक्सीटोसीन निर्मितियां और पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर में रजिस्ट्रीकृत अस्पतालों तथा क्लीनिकों को ही प्रदाय किए जाने के लिए विनियमित की जाएं और निर्बंधित की जाएं जिससे कि उक्त ओषधि का दुरुपयोग रोका जा सके ;

और, केन्द्रीय सरकार का, उक्त बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तथा मामले की समीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि ऑक्सीटोसीन ओषधि का अविनियमित और अवैध उपयोग से मानव या पशुओं को जोखिम अन्तर्वलित होने की संभावना है और लोकहित में देश में ऑक्सीटोसीन ओषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को विनियमित तथा निर्बंधित करना आवश्यक और समीचीन है जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों या अन्यथा द्वारा उसके दुरुपयोग को रोका जा सके ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 को अधिक्रांत करते हुए यह निदेश देती है कि ऑक्सीटोसीन ओषधि नीचे विनिर्दिष्ट रीति में विक्रय के लिए या वितरण के लिए विनिर्मित या विक्रीत की जाएगी, अर्थात् :-

(i) घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीटोसीन निर्मितियों का विनिर्माण केवल पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कंपनियों द्वारा किया जाएगा और उत्पाद के लेबल पर बार कोड लगा होगा ;

(ii) निर्यात के प्रयोजनों के लिए ऑक्सीटोसीन निर्मितियों का विनिर्माण पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, दोनों के लिए खुला होगा और निर्यातों के लिए ऐसे विनिर्माण के पैकों पर बार कोड लगे होंगे ;